तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 97/2020 (2020/00410) अनवान प्रीती छाजेड़ बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	
06-8-2025	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीनी की खरीद सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 240/3 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वांशी वाके ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है। अप्रार्थी राजस्थान राज्य की खसरा नम्बर 258 गैर मुमकिन ओरण की भूमि आई हुई है। खसरा नम्बर 258 में से 40 फुट का रास्ता प्रार्थीनी को उपलब्ध करवाने का निवेदन किया है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार झवंर के पत्रांक/पालना/कोर्ट/2025/155 दिनांक यथा हस्ताक्षर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया है। तहसीलदार झंवर के अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम नारनाडी के खसरा नम्बर 240/3 में आवागमन के रास्ते हेतु सरकारी भूमि खसरा नम्बर 258 किस्म गैर मुमकिन ओरण जो वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में से रास्ते हेतु वाद दायर किया था। चूंकि प्रस्तावित रास्ते हेतु वांछित भूमि गैर मुमकिन ओरण प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। खसरा नम्बर 240/3 की वादीगण खातेदार प्रिति छाजेड़ द्वार उक्त भूमि का बेचान कर दिया। वर्तमान खसरा 240/3 की भूमि डिम्पल गहलोत पत्नि त्रिलोकराम माली सा. मगला पूंजला जोधपुर के नाम दर्ज है। वादी प्रिती छाजेड़ से दूरभाष से सम्पंर्क करने पर बताया कि उसने खातेदारी भूमि बेचान कर दी है। तथा रास्ते हेतु दायर राजस्व वाद को आगे चलाना नही चाहती है। तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी	